"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2015—आश्विन 17, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री जिनेविया किंडो, भा.प्र.से. (2004) उप सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है. साथ ही सुश्री किंडो को संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री छत्तर सिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2005), संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) संयुक्त सचिव, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री आलोक अवस्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर सुश्री श्रुति सिंह, भा.प्र.से. (2006), प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित एवं संचालक, ग्रामोद्योग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्त शिल्प विकास बोर्ड, रायपुर तथा संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग विभाग केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रभार से मुक्त होंगी तथा शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, (भा.प्र.से.-2005) आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ संचालक, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

श्री राजेश सुकुमार टोप्पो द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से श्री गणेश शंकर मिश्रा, (भा.प्र.से.-1994) आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग, तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन तथा सचिव, जनसंपर्क एवं आयुक्त, जनसंपर्क, केवल आयुक्त, जनसंपर्क एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद के प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्रमांक ई 7-18/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-08-2015 द्वारा श्री विवेक ढाँड, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 26-09-2015 से 03-10-2015 तक (08 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्री विवेक ढाँड के उक्त अवकाश अवधि में श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग द्वारा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का भी कार्य संपादित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक बी-1-21/2014/4/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित तहसीलदारों/अधीक्षक, भू-अभिलेख को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400 में पदोन्नत कर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नियुक्त करता है. पदोन्नति उपरान्त उनकी पदस्थापना नीचे दर्शित सूची में उनके नाम के सामने कॉलम (4) में दर्शाए

अनुसार की जाती है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री धनीराम रात्रे	अधीक्षक, भू-अभिलेख, कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख, रायगढ़.	डिप्टी कलेक्टर, जिला-जशपुर
2.	श्री अवधराम टंडन	अधीक्षक, भू-अभिलेख, कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख, कबीरधाम.	डिप्टी कलेक्टर, जिला-मुंगेली
3.	श्री पदुमलाल यादव	तहसीलदार, जिला-राजनांदगांव	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बालोद
4.	श्री अजय कुमार उरांव	तहसीलदार, जिला-बलौदाबाजार	(प्राचार्य राजस्व नि.प्रशि.शा. बिलासपुर)
5.	श्री खेमलाल सोरी	तहसीलदार, जिला-रायगढ़	डिप्टी कलेक्टर, जिला-धमतरी
6.	श्री रामेश्वर नाथ पाण्डेय	तहसीलदार, जिला-रायगढ़	डिप्टी कलेक्टर, जिला-सरगुजा
7.	श्री मिथिलेश डोंडे	तहसीलदार, जिला-कोरिया	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बस्तर
8.	श्री गोविन्द राम महिपाल	तहसीलदार, जिला-राजनांदगांव	डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग
9.	श्री अजय किशोर लकड़ा	तहसीलदार, जिला-सूरजपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा
10.	श्री कलिन्दर साय पैंकरा	तहसीलदार, जिला-बिलासपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बिलासपुर
11.	श्री रामसिंह ठाकुर	तहसीलदार, जिला-कोरबा	डिप्टी कलेक्टर, जिला-कांकेर
12.	श्री मनीष मिश्रा	तहसीलदार, जिला-रायपुर	नया रायपुर विकास प्राधिकरण
13.	श्री देवेन्द्र केशरवानी	पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर	क्षेत्रीय परि.अधि., बिलासपुर
14.	श्री प्रणव सिंह	नया रायपुर विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)	डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायपुर
15.	श्री नवीन कुमार ठाकुर	तहसीलदार, जिला-रायपुर	नया रायपुर विकास प्राधिकरण
16.	श्री श्याम सुन्दर दुबे	तहसीलदार, जिला-नारायणपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-जशपुर
17.	श्री श्रीकान्त वर्मा	कार्यालय, संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर	उपायुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर
18.	श्री गिरधारी लाल यादव	तहसीलदार, जिला-दुर्ग	डिप्टी कलेक्टर, जिला-कबीरधाम
19.	श्री राजकुमार तंबोली	तहसीलदार, जिला-मुंगेली	डिप्टी कलेक्टर, जिला-सरगुजा
20.	श्री जगन्नाथ वर्मा	तहसीलदार, जिला-रायपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-महासमुन्द
21.	श्री श्रवण कुमार टण्डन	तहसीलदार, जिला-कबीरधाम	डिप्टी कलेक्टर, जिला-महासमुन्द
22.	श्री हेमलाल गायकवाड़	तहसीलदार, जिला-बलौदाबाजार	डिप्टी कलेक्टर, जिला-नारायणपुर
23.	श्री गौरीशंकर नाग	तहसीलदार, जिला-कोण्डागांव	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बालोद
24.	श्री दरबारी राम ठाकुर	तहसीलदार, जिला-नारायणपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-सुकमा
25.	श्री अंजोर सिंह पैकरा	तहसीलदार, जिला-कोरिया	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार
26.	श्री अवध सिंह राणा	तहसीलदार, जिला-कांकेर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
27.	श्री रामकुमार कृपाल	तहसीलदार, जिला-दंतेवाड़ा	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बस्तर
28.	श्री बालेश्वर राम	तहसीलदार, जिला-सरगुजा	डिप्टी कलेक्टर, जिला-सरगुजा
29.	श्री भरोसाराम ठाकुर	तहसीलदार, जिला-गरियाबंद	डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायगढ़
30.	श्री पुलक भट्टाचार्य	तहसीलदार, जिला-दुर्ग	क्षेत्रीय परिवहन अधि. दुर्ग
31.	श्री कैलाश नाथ मिश्रा	तहसीलदार, जिला-रायगढ़	डिप्टी कलेक्टर, जिला-दन्तेवाड़ा

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त पदस्थापनाओं के संबंध में समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 15th September 2015

No. 9032/3048/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Neha Usendi D/o Shri Narsingh Usendi [Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 36] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 15th September 2015

No. 9034/3049/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Seema Jagdalla D/o Shri Makardhawaj Jagdalla [Category-Scheduled Caste (F) Merit No. 48] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 15th September 2015

No. 9036/3057/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Astha Yadav D/o Shri Vijay Kumar Yadav [Category-Unreserved (F) Merit No. 09] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 15th September 2015

No. 9038/3092/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Manju Lata Sinha D/o Shri Dinesh Kumar Sinha [Category-Other Backward Classes (F) Merit No. 26] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 15th September 2015

No. 9040/3091/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Khileshwari Sinha D/o Shri Vedram Sinha [Category-Other Backward Classes (F) Merit No. 33] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 18th September 2015

No. 9115/3123/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Ramesh Kumar Chauhan S/o Shri U. R. Chauhan (Category-Scheduled Caste Merit No. 23) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 18th September 2015

No. 9117/3120/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Mayura Gupta D/o Shri Madan Lal Gupta [Category-Unreserved (F) Merit No. 08] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 18th September 2015

No. 9119/3121/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Tanu Shree Gavel D/o Shri Shankar Singh Gavel [Category-Unreserved (F) Merit No. 12] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 18th September 2015

No. 9121/3106/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Apurva Khare D/o Shri Prabhu Dayal Khare [Category-Unreserved (F) Merit No. 03] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 21st September 2015

No. 9137/3137/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Anjali Singh D/o Late Shri B. L. Singh [Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 52] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 21st September 2015

No. 9139/3136/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Anita Koshima D/o Shri Sukhnandan Singh Koshima [Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 42] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 21st September 2015

No. 9141/3135/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Gulapan Ram Yadav S/o Shri Rupan Ram Yadav (Category-Other Backward Classes Merit No. 28) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 3-52/2015/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/तह/जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है.	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है.	क्षेत्र का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना, तहसील व जिला-महासमुन्द	थाना-भीमखोज, तहसील-बागबाहरा, जिला-महासमुन्द	बोरियाझर	45
			बकमा	48
			केशवा	49
			कोना	48
			साल्हेभाठा	46
			जिवतरा	50
			धनसुली	48
			मुरकी	47
			मोरधा	47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	थाना व तहसील-बागबाहरा, जिला-महासमुन्द.		भानपुरी वार्ड क्र.-1	22
			सुखरीडबरी	06
			कस्तुरबोड	06
		थाना-तेन्दुकोना, तहसील-बागबाहरा, जिला-महासमुन्द	सोनदादर	12
3.	चौकी-बलौदा, थाना-सरायपाली, जिला-महासमुन्द.	थाना-सिघोड़ा, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुन्द	पलसापाली	51
			पुजारीपाली	51
			अमलीपदर	51

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-51/2013/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008), छत्तीसगढ़ को दिनांक 15-07-2015 से 08-08-2015 (कुल 24 दिवस) तक का Child care leave स्वीकृति प्रदान करता है. साथ ही दिनांक 08 एवं 09-08-2015 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्रीमती पारूल माथुर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

3. श्रीमती माथुर के अवकाश अवधि में उनके वेतन भत्ते अवकाश रक्षित पद के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा आहरित किया जाकर भुगतान किया जावेगा.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-7-11/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे (1994), आयुक्त सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 14-09-2015 से 26-09-2015 तक (कुल 13 दिवस) अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है, साथ ही दिनांक 12, 13 एवं 27-09-2015 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री हिमांशु गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे (1994) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 15-59/2015/नौ/55.—माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.(एस.) क्रमांक 3310/2015 में पारित आदेश दिनांक 11-09-2015 के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. ए.के.चन्द्राकर, अधिष्ठाता, पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 10-30/2005/वा.कर/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2005/वाक/पांच (85) दिनांक 9-10-2006 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण में श्रीमती अनिता झा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, रायपुर को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर के पद पर नियुक्त करता है.

2. उक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2006 के नियम 4 में विहित निर्बंधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक/3308/एफ-8/78/NCIP/2015-16/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./13017/04/2014/Credit.II (Pt. 2) दिनांक 02-09-2015 के परिपेक्ष्य में अधिसूचना क्रमांक 2875, दिनांक 25-08-2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2015 के अंतर्गत धान सिंचित फसल को राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर अधिसूचित किया गया था. उक्त अधिसूचना को संशोधित कर धान सिंचित फसल के लिए ईकाई पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित करते हैं.

धान सिंचित फसल पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित होने के कारण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2875, दिनांक 25-08-2015 के बिन्दु क्रमांक 7 में संशोधन करते हुए अधिसूचित क्षेत्रों में न्यूनतम 4 फसल कटाई प्रयोग आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा.

उपरोक्त अधिसूचनाओं की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक/3368/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (पांच) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 की विभागीय अधिसूचना क्र. 2615, दिनांक 11 जून, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. नियम 1 के उप-नियम (2) में, शब्द "ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे." के स्थान पर, शब्द एवं अंक "ये नियम 01 नवंबर, 2012 से प्रवृत्त होंगे." प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 2 के खण्ड (ख) में, शब्द "उपाबंध-एक में दर्शित" के स्थान पर, शब्द "संशोधन उपाबंध में दर्शित" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 3 के उप-नियम (1) में, शब्द एवं अंक "कृषि एवं खाद्य उद्योग नीति 2012 की कालावधि दिनांक 01-11-2012 से 31-10-2017" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 की कालावधि दिनांक 01-11-2012 से 31-10-2019" प्रतिस्थापित किया जाये.

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक/3370/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 606/डी-15/116/पार्ट-दो/2004/14-2, दिनांक 06-05-2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. अंक, शब्द एवं विराम चिन्ह "31 जनवरी, 2014," के स्थान पर, अंक, शब्द एवं विराम चिन्ह "31 जनवरी, 2015," प्रतिस्थापित किया जाये.

2. उक्त अधिसूचना के द्वितीय पैरा के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी मानी जायेगी."

No./ 3370 /D-15/116/Part-2/2004/14-2 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (l) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 606/D-15/116/Part-II/2004/14-2, dated 06/05/2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,—

1. For the figures, word and punctuations "31st January, 2014," the figures, word and punctuations "31st January, 2015," shall be substituted.

2. After second para of the said notification, the following shall be added, namely:—

"This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. 1st November, 2012."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1—91/22—1/2015 — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना—छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम, 2015 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 की उप—धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप—धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एस.ओ.—24, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

नियम प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना—छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम, 2015 कहलायेगा।

(2) इस नियम का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42);

(2) "ब्लॉक/जनपद पंचायत" से अभिप्रेत है जिले के भीतर सामुदायिक विकास/आदिवासी विकास क्षेत्र, जिसमें ग्राम पंचायतों के समूह सम्मिलित हैं;

(3) "सीईओ जनपद पंचायत" से अभिप्रेत है ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;

(4) "सिविल सोसायटी" से अभिप्रेत है, मनरेगा मजदूर सहित कोई भी ग्रामीण समुदाय, गैर—शासकीय जन—भावना समूह अथवा व्यक्ति जिन्होंने सामान्यतः जन सतर्कता प्रक्रिया में और विशेषतः सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु लिखित में अपनी अभिरूचि व्यक्त की हो अथवा चयन किया हो।

(5) "कलस्टर" से अभिप्रेत है ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के समूह, जिसका गठन भौगोलिक निकटता के आधार पर हुआ हो;

(6) "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त, मनरेगा योजना, छत्तीसगढ़;

(7) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है जिला कलेक्टर;

(8) "संभाग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय—समय पर यथा परिभाषित आसपास के जिलों के कलस्टर;

(9) "निकासी बैठक" से अभिप्रेत है जिला कार्यक्रम समन्वयक (जो इसमें इसके पश्चात् डीपीसी के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल एवं कार्यान्वयन कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष को ग्राम पंचायतवार सुना जायेगा और सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा जवाब दिया जायेगा जिस पर डीपीसी द्वारा निर्णय लिया जायेगा;

(10) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(11) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1993 और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम से संबंधित मतदाता नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर सृजित निकाय। तथापि, सामाजिक अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु ग्राम सभा से अभिप्रेत है किसी वार्ड/ग्राम/पारा/निवास, जिसमें उस पंचायत के किसी भाग के रहवासीगण सम्मिलित हों, में बैठक;

(12) "क्रियान्वयन एजेंसी" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण या गैर सरकारी संगठन, जो मनरेगा योजना के अधीन लिए गए किसी कार्य के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो;

(13) "स्वतंत्र पर्यवेक्षक" से अभिप्रेत है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा चयनित एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी;

(14) ''प्राथमिक हितधारक'' से अभिप्रेत है ऐसे मजदूर, जो मनरेगा योजना के अधीन कार्य किए हों, उनके परिवार के सदस्य सहित और ऐसे पंचायत, जहां मनरेगा योजना कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हों, के निवासी;

(15) ''कार्यक्रम अधिकारी'' से अभिप्रेत है महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए जनपद स्तर पर नियुक्त अधिकारी;

(16) "सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति, जो प्रशिक्षण और क्षमता विकास गतिविधियों को क्रियान्वित करेंगे और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों का सहयोग करेंगे;

(17) "सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा" एक विशेष ग्राम सभा है जिसका आयोजन, प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर विचार–विमर्श हेतु किया जायेगा। घोषणा, कोरम, अध्यक्षता आदि के संबंध में ग्राम सभा प्रक्रियाएं, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा पर भी लागू होगी;

(18) "योजना का सामाजिक अंकेक्षण" से अभिप्रेत है योजना के प्राथमिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ योजना का अंकेक्षण। अंकेक्षण में सम्मिलित है मजदूरों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का सत्यापन, शासकीय अभिलेखों का तुलनात्मक आधार पर तथा लिखित या मौखिक साक्ष्य, जैसा कि शासन द्वारा सहायता एवं सुविधा प्रदान की गई हो; को ध्यान में रखते हुए कार्यो, तथ्यों का सत्यापन;

(19) "सोसाइटी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 7 के अधीन पंजीकृत छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई;

(20) "ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति, जो हितधारकों के साथ ग्रामीण स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं।

3. **सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार.–** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्र. 42 सन् 2005) की धारा 17 में यथा वर्णित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये, राज्य शासन निम्नलिखित रीति से सुविधा उपलब्ध करायेगा :–

(1) छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई (जो इसमें इसके पश्चात् सीजीएसएयू के रूप में निर्दिष्ट है) जो कि मुख्य प्रशासनिक तथा क्रियान्वयन इकाई की स्वतंत्र सोसाइटी है, राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी होगी।

(2) छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का नेतृत्व सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ (संचालक) द्वारा किया जाएगा और जिसमें ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु वरिष्ठ और कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण सम्मिलित होंगे।

(3) वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो गहन स्तर पर 'लोगों के अधिकारों और सशक्तिकरण' हेतु प्रयासरत, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में व्यापक अनुभवी और प्रशिक्षित हों। वे अग्रगमन आधार पर, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक संभाग और जिला स्तर पर संसाधन आधार का सृजन करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, सभी ग्रामों में ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों की निगरानी और सहायता करेंगे तथा सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे।

(4) कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, ऐसे युवा होंगे जो कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं के अनुभवी हैं और जो मनरेगा योजना मजदूरों के परिवार से आते हैं तथा जिनकी सेवायें सीजीएसएयू द्वारा ली जा रही हो। कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, संसाधन आधार सृजित करते हैं तथा किसी जिला/संभाग के आबंटित ब्लॉक (ब्लॉकों) में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ग्राम सभा एवं निकासी बैठक में सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं।

(5) ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक (व्हीएसए), मनरेगा योजना के मजदूर परिवार के सदस्य हैं जिन्हें ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन हेतु सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त है।

4. **सामाजिक अंकेक्षण पूर्व–अपेक्षाएं.–**

(1) सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, राज्य में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से, एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। क्रियान्वयन एजेंसी, कभी भी सामाजिक अंकेक्षण के कार्य निष्पादन में बाधा (अवरोध) उत्पन्न नहीं करेंगे।

(2) कार्यक्रम अधिकारी/सीईओ, जनपद पंचायत, योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसियों की अपेक्षित जानकारियां, सामाजिक अंकेक्षण आरंभ होने की तिथि से कम से कम 7 दिवस के पूर्व, प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(3) पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए नियोजित सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, उसी पंचायत के निवासी नहीं होंगे।

5. **सामाजिक अंकेक्षण की कार्यावधि.–**

(1) मनरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण, राज्य के सभी पंचायतों में प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार, निष्पादित किया जायेगा।

(2) सीजीएसएयू द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन सम्बन्धी सारणी पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों को उस ब्लॉक में पंचायतों की संख्या और उनकी निकटता के आधार पर 4–6 कलस्टरों (समूहों) में (10 से 20 ग्राम पंचायतें) विभाजित किये जायेंगे। सामाजिक अंकेक्षण को एक कलस्टर के सभी पंचायतों में एक साथ संपादित किये जायेंगे।

6. **सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना.—**

(1) सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक अंकेक्षण के आरंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व, विहित प्ररूप में, मनरेगा योजना की सुसंगत जानकारी के लिए, सीईओ, जनपद पंचायत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ग्राम पंचायतवार और कार्यवार अभिलेख, निम्नलिखित विवरण सहित सामाजिक अंकेक्षण दल को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगाः—

(क) ग्राम सभा का अनुमोदन,

(ख) तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति,

(ग) मस्टर रोल की प्रतियां,

(घ) भुगतान सूची,

(ङ) माप पुस्तिका,

(च) सामग्रियों के बिलों और वाऊचरों की प्रतियां।

(2) सीईओ, जनपद पंचायत आवेदन की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रदान करेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के अधीन यथा उपबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल होने पर, सीईओ, जनपद पंचायत के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही स्वमेव प्रभावी होगी।

(4) सामाजिक अंकेक्षण दल, समय गंवाए बिना, ऑनलाईन डाटाबेस (http://nrega.nic.in) से अपेक्षित डाटा संग्रहित करेंगे और सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया आरंभ करेंगे। किसी भी स्थिति में, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य निष्पादन उपरोक्त उल्लिखित आधार पर स्थगित नहीं की जायेगी।

7. **पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी.—**

(1) सीईओ, जनपद पंचायत, पहले से ही, लिखित रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित को सूचित करेंगे कि वे सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा साथ ही कलस्टर स्तरीय निकासी बैठक में उपस्थित रहें:—

(क) जन प्रतिनिधियों,

(ख) मनरेगा योजना के संबंधित पदाधिकारियों,

(ग) संबंधित डाकघर/बैंक के प्रतिनिधि।

(2) वह सामाजिक अंकेक्षण की समाप्ति की संभावित तिथि के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित करने के लिए संबंधित सरपंचों को सूचित करेगा।

8. **ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया.—**

(1) सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के आरंभ होने के पूर्व, ब्लाक स्तर पर सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्यों को समझाने के लिए एक उन्मुखीकृत कार्यशाला आयोजित की जायेगी और सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

(2) सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के दौरान ग्राम में निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाएंगे:—

(क) ग्राम सभा में समुदाय के बीच अधिकारों और हक (पात्रता) एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाना।

(ख) सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारियों जैसे मस्टर रोल, कार्य की सूची, विनिर्दिष्ट अवधि में निष्पादित कार्यों के बिल एवं वाऊचर को पढ़कर सुनाया जाना।

(ग) ग्राम सभा में सभी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपस्थित सभी लोगों को जानकारी प्रदाय करना।

(घ) मजदूरों व आम जनता से प्राप्त सभी पीड़ा एवं वास्तविकताओं के साथ जानकारी दर्ज करने में किये गये विचलनों (व्यतिक्रम) को, ग्राम सभा में लिखित में लिया जाना।

(ङ) मजदूर, जिसका नाम घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से मस्टर रोल में दर्ज है के साथ सीधा संपर्क स्थापित करते हुए विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान, मस्टर रोल प्रविष्टियों एवं मजदूरों को किये गये भुगतान का विस्तृत सत्यापन करना।

(च) शासकीय दस्तावेजों (माप पुस्तिका और सामग्री भुगतान वाऊचर) के संदर्भ में कार्य की गुणवत्ता, मात्रा एवं उपयोगिता के जांच हेतु कार्यस्थल का निरीक्षण करना एवं हितधारकों एवं मजदूरों से क्रय की गई सामग्रियों का प्रति सत्यापन करना।

(छ) ऐसे प्राप्त सामग्रियों जो प्राक्कलन और दी गई प्रक्रिया के अनुसार एवं मितव्ययिता हों, के बीजकों/बिलों/वाऊचरों एवं अन्य संबंधित अभिलेख का सत्यापन तथा प्रमाणन कराना।

(ज) वित्तीय रिपोर्टों की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता के लिए कैश बुक, बैंक विवरण और अन्य वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन करना।

(झ) किसी मुद्दे पर मजदूरों के मौखिक एवं लिखित बयानों को दर्ज करना और साथ ही सामाजिक अंकेक्षण प्रारूपों को भरना और रिपोर्टों को लिखना।

(ञ) निधि के किसी भी प्रकार के दुर्विनियोग की स्थिति में, उत्तरदायी व्यक्ति और इस निधि के अंतिम रूप से प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान करना और सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में उपदर्शित करना।

9. **सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा.—**

(1) सामाजिक अंकेक्षण सर्वे की समाप्ति के पश्चात् सामाजिक अंकेक्षण दल, एक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन करेगी, जिसके लिए तिथि का निर्धारण, पूर्व से ही कर लिया जाएगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक, ऐसे अधिकारी, जो मनरेगा योजना क्रियान्वयन एजेंसी से सम्बन्धित न हो, को सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिये स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे।

(3) सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सभी क्रियान्वित पदाधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(4) प्राथमिक हितधारकों और ग्रामीण समुदायों को उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ साथ ग्राम पंचायत द्वारा, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जायेगा।

(5) ग्राम पंचायत, सामाजिक अंकेक्षण दल की अपेक्षा के अनुसार ग्राम सभा आयोजित करेंगे।

(6) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा और इसके प्रत्युत्तरों, यदि कोई हो, को दर्ज किया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लिए जाएंगे।

(7) यदि कोई व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों से व्यथित है, तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक, उनकी उपस्थिति में उस विषय पर पुनः परीक्षण का अवसर प्रदान करेंगे।

(8) इस प्रकार से दर्ज साक्ष्य को कलस्टर स्तरीय निकासी बैठक में विचार—विमर्श हेतु पुनः नहीं खोला जाएगा।

10. **कलस्टर स्तरीय निकासी बैठक.—**

(1) कलस्टर के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के समापन के पश्चात् सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की पराकाष्ठा के रूप में कलस्टर स्तर पर एक सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठक आयोजित की जाएगी। निकासी बैठक में भाग लेने के लिए डीपीसी/सीईओ—जिला पंचायत के द्वारा, मजदूरों के प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, संबंधित पदाधिकारियों, स्वतंत्र पर्यवेक्षक एवं मीडिया को, आमंत्रित किया जायेगाः

परन्तु यह कि मजदूरों, जिनकी जांच स्वतंत्र पर्यवेक्षक के समक्ष पहले ही ग्राम सभा में हो चुकी है, की उपस्थिति इस प्रकार की निकासी बैठक में अनिवार्य नहीं हैं।

(2) निकासी बैठक की अध्यक्षता, जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, किन्तु जो डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी से निम्न का न हो, के द्वारा किया जायेगा।

(3) निकासी बैठक को निम्नानुसार आयोजित किया जाएगाः—

(क) पिछले सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में की गई कार्यवाही को पढ़कर सुनाया जाएगा।

(ख) वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को, ग्राम पंचायतवार, सामाजिक अंकेक्षण दल के किसी सदस्य द्वारा पढ़ा जाएगा।

(ग) सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विचलन के संबंध में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी, ग्राम सभा/कार्य स्थल सत्यापन/घरेलू सर्वेक्षण में अभिलिखित साक्ष्य का परीक्षण करेंगे तथा अपने निकासी बैठक में प्रत्येक प्रकरण में आदेश पारित करेंगे।

(घ) संबंधित शासकीय पदाधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण में चिन्हित प्रत्येक मामलों पर, प्रभावित व्यक्तियों तथा लोगों को, अपना जवाब या स्पष्टीकरण देते हुए, इस संबंध में प्रत्युत्तर देंगे कि कतिपय कार्यवाही क्यों की गई एवं नहीं की गई।

(ङ) प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षो को सुनने तथा निकासी बैठक में शासकीय पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण को सुनने के पश्चात्, अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा यथा उपदर्शित तथा शासन द्वारा समय—समय पर यथा विहित प्रत्येक निष्कर्षों पर निर्णय की घोषणा करेंगे।

(च) यदि पदाधिकारी द्वारा निधि का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो वे निकासी बैठक में उसका पुनः भुगतान कर सकेंगे तथा उसको जिला कार्यक्रम समन्वयक/आयुक्त, मनरेगा योजना के अभिहित खाते में जमा किया जायेगा एवं रसीद, संबंधित व्यक्ति को जारी किया जायेगा।

(छ) सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों और आदेश, जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, को तीन दिवस के भीतर, जिला कार्यक्रम समन्वयक/आयुक्त, मनरेगा योजना को भेजा जायेगा।

11. **अनुवर्ती कार्यवाही.—** सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही का उत्तरदायित्व, डीपीसी और आयुक्त, मनरेगा योजना का होगा। इस सन्दर्भ में, निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा :—

(क) कोई मुद्दे जो कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान उद्भूत हो अथवा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में कोई विषय, जिससे अधिनियम का उल्लंघन या मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में कमी उपदर्शित हो, को मनरेगा अधिनियम की धारा 19 के अधीन एक 'शिकायत' के रूप में स्वमेव व्याख्यापित किया जाना चाहिए।

(ख) निकासी बैठक की तारीख से 15 दिनों के भीतर सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में उपदर्शित सभी व्यक्तियों पर कार्यवाही शुरु करने का दायित्व, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) का होगा।

(ग) यदि निकासी बैठक में दिये गये आदेश पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया, शासन के अनुशासनात्मक/प्रशासनिक नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप पूर्ण की जायेगी।

(घ) व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, जो अधिनियम के अधीन योजना के लिए विहित निधि का दुरूपयोग या गबन करते हैं, के विरूद्ध समुचित कार्रवाई (जिसके अंतर्गत आपराधिक और सिविल प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाना अथवा सेवा की समाप्ति भी है) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जायेगी।

(ङ) यदि इस प्रकार वसूल की गई राशि, अधिकार स्वरूप मजदूरों से संबंधित हों तो ऐसी राशि के वसूल करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उन्हें लौटा दी जायेगी।

(च) यदि कोई व्यक्ति, राशि के गबन का दोषी पाया जाता है और राशि के पुनः भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके विरूद्ध राजस्व वसूली अधिनियम, 1958 के अनुसार राशि की वसूली के लिये कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की प्रक्रिया को, निकासी बैठक की तारीख से 6 माह के भीतर पूरा किया जायेगा।

12. **सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका.—** सामाजिक अंकेक्षण, क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किये गये कार्यों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है। प्रशासनिक तंत्र द्वारा प्रक्रिया में हस्तक्षेप या प्रभावित करने के प्रयास पर कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी शासकीय पदाधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन कार्य में सहयोग करेंगे। इस संदर्भ में, अधिकारियों पर निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किए गए हैः—

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी—

(क) क्रियान्वयन एजेंसी से संबंधित जानकारी, जैसा कि सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा निवेदित हो, संग्रहित करेंगे एवं प्रदान करेंगे।

(ख) योजना क्रियान्वयन के सभी पदाधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और मजदूरों को, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की तिथि के बारे में जानकारी देंगे।

(ग) सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजन करने हेतु ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सूचित करेंगे।

(घ) अन्य मनरेगा योजना पदाधिकारी के साथ कलस्टर स्तरीय निकासी बैठक में आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे।

(ङ) सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाहियां करेंगे और सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठक के दौरान प्रशासनिक कार्यवाही पर लिए गए निर्णयों का रूपान्तरण सुनिश्चित करेंगे।

(च) सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्ज की गई किसी भी विवाद या शिकायत का निपटान करेंगे।

(छ) ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों (व्हीएसए) और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ पाक्षिक बैठकें आयोजित करेंगे और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उन्हें सूचित करेंगे।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/सीईओ—जिला पंचायत—

(क) सभी कलस्टर में निकासी बैठकों के सुगम आयोजन हेतु व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन के दौरान अपेक्षित रीति में प्रशासनिक तंत्र के साथ सहयोग सुनिश्चित करेंगे। वे, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यान्वयन विभागों द्वारा सभी अभिलेख, सीईओ, जनपद पंचायत को प्रस्तुत कर दी गयी है जिसे सामाजिक अंकेक्षण दल को सौंप दिया गया हो।

(ग) आबंटित ब्लॉकों में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के रूप में अधिकारियों के समूह का चयन, अभिहित और प्रशिक्षित करेंगे।

(घ) सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठकों में या तो व्यक्तिगत अथवा उनकी ओर से नामांकित अधिकारी उपस्थित होंगे।

(ङ) यथा अपेक्षित/आवश्यक सिविल सेवा नियम और आपराधिक प्रकरणों के अनुसार अनुशासनिक मामलों सहित सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्यवाही की निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे।

(च) यह सुनिश्चित करेंगे कि वसूलियां कर ली गयी है एवं ऐसे व्यक्ति जो गबन में लिप्त है, इस प्रकार के प्रकरण में वे राशियां लौटा रहे हैं। इस प्रकार वापस की गई राशि की पावती जारी की जायेगी तथा वसूली के सात दिनों के भीतर मजदूरों को देय राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

13. **सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता.—** वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक सहित सामाजिक अंकेक्षण दल नीचे दिये गये आचार संहिता का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः—

(क) सामाजिक अंकेक्षण दल, अपने कार्य में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानक प्रदर्शित करेंगे।

(ख) वे ग्रामों में गरिमा के साथ सामाजिक अंकेक्षण का निष्पादन करेंगे।

(ग) वे सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी मादक पदार्थ का उपभोग नहीं करेंगे।

(घ) सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल मनरेगा मजदूरों के निवास में अथवा किसी शासकीय भवन में ही ठहरेंगे।

(ड.) वित्तीय एवं गैर—वित्तीय लाभ कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार नहीं करेंगे।

उपर्युक्त आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी सामाजिक अंकेक्षक की सेवायें, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

14. **समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण.—** सामाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक सतर्कता की एक सतत् प्रक्रिया है, अतएव वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण निष्पादित किये जाने की वैधानिक आवश्यकता है। यह प्राथमिक हितधारकों द्वारा मांग के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन हेतु स्वतंत्र पहल की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिये,—

(क) ग्राम में सामाजिक अंकेक्षण की समाप्ति के पश्चात् ग्राम के ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक और अन्य मजदूर, अपने स्वयं के द्वारा माह में एक बार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, उपरोक्त नियम 6 (1) और (2) की प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन कर सकते हैं।

(ख) शासकीय एजेंसियां, अनुरोध पर अभिलेखों की प्रतियां प्रदान करते हुए इस प्रकार के पहल का समर्थन करेंगे।

(ग) इस प्रक्रिया के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट, अभिलेख का एक हिस्सा होंगे और क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जवाब दिया जायेगा।

(घ) जहां कमियां पायी जाती है, वहां इन नियमों के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट और साथ ही कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट को अगले ग्राम सभा के समक्ष रखना होगा।

(ङ) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुपालन के लिए और प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए सभी ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक (व्हीएसए), जिन्होंने समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण निष्पादित किये हों, के साथ ब्लॉक स्तर पर मासिक बैठक का आयोजन किया जायेगा।

(च) सीईओ–जनपद पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मासिक बैठक में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण में सभी निष्कर्षों पर त्वरित कार्यवाही की पहल की जायेगी।

(छ) ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की बैठक में भाग लेने और समवर्ती सामाजिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दौरान छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई (सीजीएसएयू), अपने सामाजिक अंकेक्षण निधि से उन्हें भोजन भत्ता एवं पारिश्रमिक का भुगतान करेगा।

15. **सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट.–** ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा यथा उपदर्शित मनरेगा योजना की प्रशासनिक लागत के 6% से सामाजिक अंकेक्षण निधि के रूप में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कुल वार्षिक व्यय का कम से कम 0.5% एवं 1.0% तक शासन आबंटित करेगा। सामाजिक अंकेक्षण निधि का उपयोग, मनरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन के लिए किया जाएग। आयुक्त, मनरेगा योजना द्वारा, मनरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये सीजीएसएयू को निधि प्रदाय करने हेतु पहल की जायेगी।

No. F 1-91/22-1/2015.— The following draft of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme–Chhattisgarh, Social Audit Rules, 2015, which the State Government, in exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 32 of the said Act, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours in office of the Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. SO-24, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULES

1. **Short title, extent and commencement. —**

(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme – Chhattisgarh, Social Audit Rules, 2015.

(2) These rules shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions .—** In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005);

(2) "Block/Janpad Panchayat" means a Community Development and Trible Development area within a District comprising a group of Gram Panchayats;

(3) "CEO Janpad Panchayat" means the Chief Executive Officer of Janpad Panchayat at Block level;

(4) "Civil Society" means any village communities, non-official public spirited groups or individuals including MGNREGS workers who expressed in writing showing their interest or chosen to participate in the public vigilance process in general and Social Audit process in particular;

(5) "Cluster" means a group of Gram Panchayats in a Block constituted on the basis of geographical proximity;

(6) "Commissioner" means the Commissioner, MGNREGS, Chhattisgarh;

(7) "District Programme Coordinator" means the District Collector ;

(8) "Division" means cluster of adjoining districts as defined by the Government of Chhattisgarh from time to time;

(9) "Exit Conference" means meeting conducted by the District Program Coordinator (hereinafter referred to as the DPC) with the social audit team and implementing staff, to hear the Gram Panchayat wise social audit findings and concerned officials shall respond on which decision shall be taken by the DPC;

(10) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(11) "Gram Sabha" means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of Panchayat at village level as defined in the Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1993 and Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 and rules made thereunder. However, for the purpose of Social Audit, Gram Sabha means, meeting in one ward/ village/para/ habitation constituting residents of that Panchayat;

(12) "Implementing Agency" means any Department of the Central Government or State Government or any local authority or Non Governmental Organisation authorized by Central Government or the State Government to undertake the implementation of any work taken up under MGNREGS;

(13) "Independent Observer" means an officer identified and deputed by District Program Coordinator to Social Audit Gram Sabha;

(14) "Primary Stakeholders" means workers who have worked under MGNREGS including their family members and residents of Panchayats where the MGNREGS works are carried out;

(15) "Programme Officer" means the officer appointed for Mahatma Gandhi NREGA Programme at Janpad level;

(16) "Social Audit Facilitators" means the persons who shall carry out the training and capacity building activities and support the Village Social Auditors at village level;

(17) "Social Audit Gram Sabha" is a special Gram Sabha which shall be held at least once in every six months to discuss the Social Audit findings. Gram Sabha procedures regarding announcement, quorum, chairpersonship etc., shall also be applicable to the Social Audit Gram Sabha;

(18) "Social Audit of a Scheme" means auditing of a scheme with the active participation of the primary stakeholders of the Scheme. Audit includes the verification of implementation process to ensure the entitlement of workers, verification of works, facts on the ground vis-à-vis official records and taking into account the written or oral evidences which is aided and facilitated by the Government;

(19) "Society" means the Chhattisgarh State Social Audit Unit registered under Section 7 of the Chhattisgarh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);

(20) "Village Social Auditors" means the persons who execute the Social Audit Process at village level with the Primary Stakeholders;

3. **The Social Audit Resource Base.—** In order to provide support to the Gram Sabhas to carry out the functions as described in Section 17 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), the State Government shall provide facilities in the following manner:-

(1) The Chhattisgarh Social Audit Unit (hereinafter referred to as CGSAU), being an independent society of the mainstream administration and implementation structure, shall be responsible for facilitating social audit processes in all Gram Panchayats in the State.

(2) The Chhattisgarh Social Audit Unit will be headed by a Social Audit Expert (Director) and consist of Senior and Junior Social Audit Facilitators for facilitating of Social Audits in villages.

(3) The Senior Social Audit Facilitators are social-workers, striving for 'Rights and empowerment of people' at grassroot level, having vast experience and trained in the social audit process. They will form the resource base at each of the Division and District level to carry out the training and capacity

building on Social Audit process on continuous basis. The Social Audit Facilitators will monitor and support the Village Social Auditors in all villages and follow up actions on Social Audit findings.

(4) The Junior Social Audit Facilitators are youth, having experience in social audit process and hail from households of MGNREGS workers and whose services are being hired by CGSAU. The Junior Social Audit Facilitators form the resource base and participate in the Social Audits process in the allotted Block (s) of a district / division and present the social audit findings in the Gram Sabha and Exit Conference.

(5) The Village Social Auditors (VSAs) are the family members of MGNREGS workers trained in Social Audit process to carry out the Social Audits in villages.

4. **Social Audit pre-requisites.—**

(1) The social audit process shall be an independent process from the implementation of MGNREGS in the State. The implementing agencies shall, at no time, interfere with the conduct of social audit.

(2) The Programme Officer / CEO, Janpad Panchayat shall be responsible for providing requisite information of all implementing agencies of the Schemes at least 7 days prior to the date of commencement of Social Audit.

(3) The Social Audit Facilitators and Village Social Auditors deployed for conducting the social audit in a Panchayat shall not be the resident of the same Panchayat.

5. **Periodicity of Social Audit.—**

(1) The Social Audit of the MGNREGS shall be carried out in all Panchayats of the State at least once in every six months.

(2) The schedule for conduct of social audit will be decided at the beginning of every year by the CGSAU in consultation with the District administration.

(3) All Gram Panchayats in a Block shall be divided into 4-6 clusters (10 to 20 Gram Panchayats) based on the number of Panchayats in that Block and on their proximity. Social Audit shall be carried out simultaneously in all Panchayats of a cluster.

6. **Filing of application for relevant Official Records.—**

(1) The social audit team will file an application before the CEO, Janpad Panchayat for relevant information of the MGNREGS, in a prescribed form, at least 15 days before commencement of Social Audit. The Gram Panchayat wise and work wise records including the following details shall be provided free of cost to social audit team:-

(a) Gram Sabha Approval,

(b) Copy of Technical& Administrative sanction,

(c) Copies of Muster Rolls,

(d) Wage lists,

(e) Measurement Books,

(f) Copies of Bills and Vouchers of materials.

(2) The CEO, Janpad Panchayat shall provide the required information within 7 days of the receipt of the application.

(3) Failure to provide records as provided under sub-section (1) of Section 6 of the Act will automatically result in disciplinary action against the CEO, Janpad Panchayat.

(4) The Social Audit team, without wasting time shall collect the required data from online database (http://nrega.nic.in) and start their social audit process. Under no circumstance, the conduct of social audit will be postponed on the above mentioned ground.

7. **Information on the Social Audit to Panchayats.—**

(1) The CEO, Janpad Panchayat shall notify in writing to the following, well in advance, to ensure that they must also be present at Social Audit Gram Sabha as well as at the cluster level Exit Conference:—

(a) Pubic representatives,

(b) Concerned functionaries of MGNREGS,

(c) Concerned Post office/Bank representatives.

(2) He shall also inform the concerned Sarpanchs to convene Social Audit Gram Sabha as per the expected date of completion of social audit.

8. **Social Audit Process in the Gram Panchayats.—**

(1) Prior to the start of Social Audit process, an orientation workshop with the Sarpanchs at Block level will be conducted to make them aware of the objectives of the Social Audit and to seek their participation in the Social Audit Gram Sabha.

(2) The following activities shall be undertaken by the Social Audit team during the process of Social Audit in aVillage:—

(a) To generate awareness among community on Rights and Entitlements and Social Audit process in Gram Sabhas.

(b) To read out the information available in the government documents such as Muster Rolls, List of works, Bills and vouchers of works executed in specified period.

(c) To ensure availability of all records and to give information to the public present in Gram Sabhas.

(d) All grievances of workers / general public and deviations in recorded information with ground realities shall be taken in writing in Gram Sabhas.

(e) Thorough verification of Muster Roll entries and payments made to workers during specified period by establishing direct contact with the workers whose names are entered in the Muster Rolls by conducting household survey.

(f) Visiting the worksites to verify quality, quantity and usefulness with reference to the official records (Measurement Book and material payment vouchers) and cross verification of materials procured with beneficiaries and workers.

(g) To verify the invoices / bills / vouchers and other related records of material procured and to testify such procurement is as per the estimate and procedures laid down and are economical.

(h) To verify the cash book, bank statements and other financial records for correctness and reliability on financial reports.

(i) Recording the oral and written statements of workers on any issue as well as filling of the Social Audit formats and writing reports.

(j) In case of any misappropriation of funds, both the person responsible and ultimate recipient of such funds shall be identified and indicated in the Social Audit report.

9. **Social Audit Gram Sabha.—**

(1) After completion of social audit surveys, the social audit team shall hold a Social Audit Gram Sabha for which the date shall be fixed well in advance.

(2) The District Program Coordinator shall depute an officer, who has not been a part of MGNREGS implementing agency, as an Independent Observer to testify the social audit findings.

(3) Block and Gram Panchayat level implementing functionaries should ensure their presence in the Social Audit Gram Sabha.

(4) The Primary Stakeholders and village community shall be informed well in advance about the Social Audit Gram Sabha by the Social Audit team as well as the Gram Panchayat to ensure their full participation.

(5) The Gram Panchayat shall convene the Gram Sabha as per the requisition of the Social Audit team.

(6) Findings of Social Audit would be read out in the Social Audit Gram Sabha and the responses, if any, shall be recorded and signatures / thumb impressions of concerned shall be obtained.

(7) If any person is aggrieved by the Social Audit findings, the Independent Observer shall give an opportunity to re-examine the issue in his / her presence.

(8) The evidence so recorded shall not be reopened for discussions at Cluster level Exit Conference.

10. **Cluster level Exit Conference.—**

(1) As a culmination of the Social Audit process, after completion of Gram Sabhas in all Gram Panchayats of a cluster, a Social Audit Exit Conference shall be held at cluster level. The representatives of workers, public representatives, official functionaries, Independent Observer(s) and media shall be invited by the DPC/CEO-ZP to take part in the Exit Conference:

Provided that the presence of the workers, who have already testified in the Gram Sabha before the Independent Observer, are not compulsory at such Exit Conference.

(2) The District Programme Coordinator or any officer authorized by him/her, but not below the rank of Deputy Collector, shall preside over the Exit Conference.

(3) Exit Conference shall be conducted as follows:-

(a) The action taken in the last Social Audit Report will be read out.

(b) Gram Panchayat-wise, the current Social Audit findings, shall be read by any member of the Social Audit team.

(c) For each deviation pointed out by the Social Audit team, the Presiding Officer shall examine the evidence recorded at the Gram Sabha / worksite verification / household survey and pass orders in each case in the Exit Conference itself.

(d) The concerned official functionary shall respond to each of the issues identified in the social audit by giving a clarification or an explanation to the affected individual and to public as to why certain action was taken and not taken.

(e) After hearing each finding of social audit and hearing the version of official functionary in Exit Conference, the Presiding Officer shall announce the decision on each finding as indicated by disciplinary actions and as prescribed by the Government from time to time.

(f) Where the functionaries are found to have misappropriated the funds, they may repay the same in the Exit Conference and the same shall be deposited in the designated account of the District Programme Coordinator/ Commissioner, MGNREGS and a receipt will be issued to the person there itself.

(g) The Social Audit findings along with Orders passed by the Presiding Officer shall be sent to the District Programme Coordinator/ Commissioner, MGNREGS within three days.

11. Follow up action.- It shall be the responsibility of the DPC and the Commissioner, MGNREGS to take follow up action on the social audit findings. In this context, the following actions shall be ensured:—

(a) Any issue which is raised during a Social Audit or any item in the Social Audit report which indicates a contravention of the Act or a shortfall in implementation of the MGNREGS, should automatically be interpreted as a ‘complaint’ under Section 19 the MGNREGA.

(b) The DPC will be responsible for initiating action on all persons indicated in the social audit report within 15 days from the date of Exit Conference.

(c) Where disciplinary action has been ordered in the Exit Conference, such process shall be completed as per Government disciplinary / administrative rules and instructions.

(d) The District Programme Coordinator shall take appropriate action (under which criminal and civil procedure is to be initiated or also the termination of service) against the person or persons or class of persons who misuse or embezzles funds for Schemes under the Act.

(e) If the amount so recovered, rightfully belong to the workers, the same shall be returned to them within 7 days from the date of recovery of such money.

(f) In case the person is found guilty of misappropriation fails to repay the amounts, action as per the Revenue Recovery Act, 1958 shall be taken for recovery of the amounts. Such process shall be completed within 6 months from the date of Exit Conference.

12. **Role of Administration in the Social Audit Process.—** The Social Audit is an independent evaluation of the work done by the implementing agencies. Any attempt to interfere with or influence the process by the administrative machinery will be dealt with strictly. All the official functionaries dealing with MGNREGS implementation shall cooperate in conduct of the Social Audit. In this context, the following responsibilities are fixed on the officers :—

(1) The Chief Executive Officer, Janpad Panchayat and Program Officer—

(a) shall collect and provide information related to all implementing agencies as requested by the Social Audit team.

(b) shall communicate about the Social Audit process, date of Social Audit Gram Sabha to all functionaries of Scheme implementation, Public Representatives and workers.

(c) shall inform the Sarpanchs of Gram Panchayats for conducting the Social Audit Gram Sabha.

(d) shall necessarily participate along with other MGNREGS functionaries in the cluster level Exit Conference.

(e) shall take corrective actions on Social Audit findings immediately and shall ensure the translation of the decisions taken during Social Audit Exit Conference into administrative action.

(f) shall dispose of any dispute or complaint recorded in the Social Audit report

(g) shall organize fortnightly meetings with VSAs and representatives of workers and apprise them of the action taken by the administration.

(2) District Program Coordinator and CEO-ZP —

(a) shall be responsible for making arrangements for smooth conduct of Exit Conference in all clusters.

(b) shall ensure that administrative machinery cooperates in the required manner while conducting social audit. He/She shall ensure that all records are submitted by all implementing departments to CEO, Janpad who then, handovers them to Social Audit team.

(c) shall identify, designate and train a group of Officers as Independent Observers to attend the Social Audit Gram Sabhas in the allotted Blocks.

(d) shall attend the Social Audit Exit Conferences either in person or nominate an officer on his behalf.

(e) shall be responsible for monitoring the corrective action on the social audit findings including disciplinary cases as per the Civil Service Rules and Criminal cases as required/ necessary.

(f) shall ensure that recoveries are facilitated and in cases where those who have indulged in embezzlement must return the money. For the money so returned receipts shall be issued and dues shall be paid to the workers within seven days of recovery.

13. **Code of conduct for the Social Audit Team.—** The Social Audit teams including the Senior and Junior Social Audit Facilitators and Village Social Auditors shall follow the necessary code of conduct laid down below :—

(a) The Social Audit team shall exhibit high standards of impartiality and integrity in their work.

(b) They shall conduct Social Audit with dignity in the villages.

(c) They shall not consume any intoxicants during Social Audit process.

(d) The Social Audit team shall stay in the houses of MGNREGS workers or in any Government building only during the social audit period.

(e) Shall not accept any financial and non-financial benefits from the implementing agencies.

Services of any Social Auditor, violating the above code of conduct, shall be summarily dispensed with.

14. **Concurrent Social Audit.—** Social Audit has to be an on-going process of public vigilance. Therefore, the statutory requirement is to carry out Social Audits twice in a year. It shall facilitate independent initiatives by primary stakeholders to carry out Social Audits as per the demand. For this purpose,—

(a) after completion of the Social Audit in the village, the Village Social Auditors (VSAs) of the village along with other workers can carry out Concurrent Social Audit once a month on their own by following the process of Rule 6 (1) and (2) mentioned above.

(b) government agencies shall support such initiatives by providing copies of records on request.

(c) reports submitted in such process shall form part of the record, and shall be answerable by the implementing agencies.

(d) where shortcomings are found, immediate action must be taken as per these rules. The report of the concurrent social audit as well as the report regarding the action taken must be placed before the next Gram Sabha.

(e) for following up on the findings of social audit and providing active support to the process, there shall be a monthly meeting at Block level with all the VSAs who have done concurrent social audit.

(f) prompt action shall be initiated on all the observations made in the concurrent social audit in the monthly meeting by the CEO-JP/ Programme Officer.

(g) while attending the follow-up meeting and submitting the concurrent Social Audit report by Village Social Auditors, CGSAU shall make payment of their Food Allowance & Honorarium from its social audit funds.

15. **Budget for the Social Audit Process.—** The Government shall allot at least 0.5% and upto 1.0% of total annual expenditure under MGNREGS as Social Audit Fund from the 6% of administrative cost of MGNREGS as indicated by the Ministry of Rural Development (MoRD). The Social Audit Fund shall be used to conduct Social Audit of MGNREGS works. The Commissioner, MGNREGS will take initiative to release funds to CGSAU to ensure smooth execution of social auditing of MGNREGS works.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	खम्हरिया प.ह.नं. 03	0.162	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	बिशुनपुर से ओडगी मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	तिरकेला प.ह.नं. 31	4.985	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	तिरकेला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	खरसुरा प.ह.नं. 05	3.504	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	गेरुआ नाला व्यपवर्तन (बायीं नहर एवं दायीं नहर) हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	पटकुरा प.ह.नं. 31	5.191	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	जिवलिया, केदमा व्यपवर्तन (विपर, मुख्य नहर एवं उप नहर) हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	भुसू प.ह.नं. 35	0.016	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	डोमनी व्यपवर्तन योजना के उप नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	लंगड़ासांड़ प.ह.नं. 09	0.208	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	डोमनी व्यपवर्तन योजना के उप नहर भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	घुटरापारा प.ह.नं. 16	1.861	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	साखेन व्यपवर्तन योजना के तहत मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	रजपुरी प.ह.नं. 34	24.625	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	रजपुरी जलाशय योजना के तहत डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	एरण्ड प.ह.नं. 35	1.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	डोमनी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	बेलदगी प.ह.नं. 20	0.340	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	चन्दनई व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बगड़ोली प.ह.नं. 34	1.959	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	रजपुरी जलाशय योजना में स्पैल चैनल हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	बेलदगी प.ह.नं. 20	5.818	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	चन्दई व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सोहगा प.ह.नं. 28	3.237	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम घुनघुट्टा परि-योजना के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन ग्राम सोहगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	चकेरी प.ह.नं. 18	3.238	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	चकेरी व्यपवर्तन वियर एवं नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लवईडिह प.ह.नं. 29	0.461	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम घुनघुट्टा परि-योजना के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन ग्राम लवईडिह.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	चिड़ापारा प.ह.नं. 09	0.926	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	महारानीपुर व्यपवर्तन योजना के उप नहर भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	टपरकेला प.ह.नं. 38	1.903	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	घुनघुट्टा (श्याम) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./15/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	रेवापुर प.ह.नं. 29	0.788	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम घुनघुट्टा परि-योजना के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन ग्राम रेवापुर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./16/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	टपरकेला प.ह.नं. 32	8.672	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम घुनघुट्टा परि-योजना के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन ग्राम टपरकेला.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./17/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सोनबरसा प.ह.नं. 32	2.174	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम घुनघुट्टा परि-योजना के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन ग्राम सोनबरसा.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./18/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	कोंसगा प.ह.नं. 20	0.032	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	चंदनई व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./20/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	छिन्दकालो प.ह.नं. 40	0.506	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम घुनघुट्टा परि-योजना के अंतर्गत मोतीपुर माइनर नहर क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./21/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	दरिमा प.ह.नं. 39	0.390	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	घुनघुट्टा (श्याम) परियोजना के अंतर्गत नहर क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./23/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	भेलाईकला प.ह.नं. 05	0.351	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	दुन्दु जलाशय योजना मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./25/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लिबरा प.ह.नं. 38	0.631	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	घुनघुट्टा (श्याम) परियोजना के अंतर्गत नहर क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./26/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	छिंदकालो प.ह.नं. 40	0.395	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	घुनघुट्टा (श्याम) परि-योजना के अंतर्गत छिंदकालो माइनर नहर क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./27/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	मोहनपुर प.ह.नं. 19	1.405	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	मोहनपुर जलाशय योजना का स्पील चैनल एवं बांध लाईन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./28/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	मोहनपुर प.ह.नं. 43	0.350	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	बिलासपुर धनवार रोड SH2A किमी 191.40 से जजगा चिटकीपारा मोहनपुर रोड हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./29/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	रामनगर प.ह.नं. 08	0.185	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	खैरबार से मलगवां रामनगर सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./30/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	दुन्दु प.ह.नं. 06	0.081	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	दुन्दु जलाशय योजना मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./31/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	डूमरडीह प.ह.नं. 12	9.340	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	डूमरडीह जलाशय (डूब क्षेत्र) हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./32/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बड़ा-दमाली प.ह.नं. 19	20.274	कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	बरनई परियोजना के डूब क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./33/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सपना प.ह.नं. 10	1.510	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	बांकीपुर जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./35/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	नुनेरा प.ह.नं. 04	1.408	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	बिशुनपुर-ओड़गी मार्ग सड़क चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./36/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	खजुरी प.ह.नं. 21	2.255	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	खजुरी व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./37/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बकिरमा प.ह.नं. 18	1.368	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	बांकीपुर जलाशय स्पील चैनल हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./38/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बांकीपुर प.ह.नं. 18	1.895	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	बांकीपुर जलाशय स्पील चैनल हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./39/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	जूना लखनपुर प.ह.नं. 28	0.487	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	चन्दनई व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./40/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	जजगा प.ह.नं. 09	0.665	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	नरकालो जलाशय योजना के जजगा शाखा नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./41/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	जगदीशपुर प.ह.नं. 15	2.319	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	घुनघुट्टा परियोजना दायीं तट मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./42/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कालापारा प.ह.नं. 20	0.081	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	घुनघुट्टा परियोजना दायीं तट मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./43/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	करजी प.ह.नं. 15	0.032	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	घुनघुट्टा परियोजना दायीं तट मुख्य नहर अंतर्गत करजी माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	चवरपानी प.ह.नं. 14	1.444	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	साखेन व्यपवर्तन योजना के डुबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	भुसू प.ह.नं. 33	2.246	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	डोमनी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	महेशपुर प.ह.नं. 05	1.527	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	माण्ड व्यपवर्तन योजना के तहत बांध लाईन मुख्य नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	सरस्वतीपुर प.ह.नं. 09	2.704	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	सरस्वतीपुर व्यपवर्तन योजना के तहत मुख्य नहर एवं उप नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	आमगांव प.ह.नं. 01	1.976	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	ढ़ोहाडीह व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	जरहाडीह प.ह.नं. 15	0.538	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	सखेन व्यपवर्तन योजना के उप नहर भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्रमांक 04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	भखारा प.ह.नं. 15	0.36	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी.	भखारा में अटल चौक से बायपास मार्ग (गौरवपथ).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक 08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	बेलरगांव प.ह.नं. 24	0.11	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नगरी जिला-धमतरी.	बेलरगांव - घुड़ावर - जैतपुरी मार्ग के कि.मी. 19/2 पर बेलरगांव नाला पर पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्रमांक/12/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	बोरसी प.ह.नं. 35/1	1.31	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद जिला-धमतरी.	फुटहामुड़ा मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक/5854/कले./भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-सिलतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
442	0.45
463	0.06
472	0.02
366	0.04
445	0.06
446	0.01
447	0.01
461	0.01
465/1	0.05
464	0.05
470	0.03
465/2	0.03
463	0.01
465/3	0.01
461	0.04
469	0.03
245	0.01
466/1	0.06
356/2	0.01

	(1)	(2)
	257	0.05
	359	0.22
	358/2	0.04
	244/1	0.20
	243/1	0.02
	155/2	0.10
	243/2	0.02
	155/1	0.10
	242	0.03
	238	0.02
	236	0.05
	239	0.01
	237/2	0.02
	358/1	0.04
	401	0.50
	403	0.65
	405	1.62
	414/3	0.12
योग	37	4.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-सिलतरा तालाब योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक/5856/कले./भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-मोहपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	476/3	0.18
	477	0.18
	478	0.20
	479/1	0.21
	479/2	0.21
योग	5	0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-हटकुल व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक/5858/कले./भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-इच्छापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
528	0.22
511	0.30
510	0.02
453	0.06
460/698	0.03
455	0.06
562	0.05
459	0.15

	(1)	(2)
	420	0.02
	428	0.03
	418	0.08
	425	0.04
	423	0.02
	424	0.03
	426	0.04
	414	0.08
	413	0.15
	552	0.03
	410	0.03
	554	0.05
	411	0.03
	408	0.10
	546/14	0.04
	546/7	0.20
	571	0.03
	546/11	0.30
	565	0.05
	563	0.01
	561	0.03
	559	0.05
	558/2	0.03
	560	0.07
	553	0.03
	555	0.02
योग	34	2.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-इच्छापुर व्यपवर्तन के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक/5860/कले./भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगारभाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.70 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	207/2घ	0.70
योग	01	0.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-हटकुल व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2015

क्रमांक/5748/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पथरिया निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं उसकी प्रति नगर पंचायत पथरिया के कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पथरिया, जिला-मुंगेली एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम

निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 25-06-2015 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसुची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम भीमपुरी, पथरिया, लौदापारा, चोरभट्ठी एवं डंगनिया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम डंगनिया, जुनवानी, दलपुरवा एवं देवरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम देवरी, भरेवा, पीड़ा, पुटपुरा, पथरगढ़ी एवं सकेरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सकेरी, भठली, सिलतरा, लछनपुर एवं भीमपुरी की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :—

1. कार्यालय, नगर पंचायत पथरिया, जिला मुंगेली (छ.ग.)

2. कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No./5748/व.भू.उ.प्र./T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Pathariya Planning Area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 25-06-2015 in the Office of the Nagar Panchayat Pathariya, Office of the S. D. O. (Revenue) Pathariya, District-Mungeli and Office of the Joint Director, Town And Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during Office hours of working days. The limits of Pathariya Planning Area are detailed in schedule given below :

SCHEDULE

Pathariya Planning Area Limits

NORTH : Village Bhimpuri, Pathariya, Laudapara and Chorbhatthi and upto the North limit of Danganiya.
EAST : Village Danganiya, Junwani, Dalpurwa and upto the East limit of Deori.
SOUTH : Village Deori, Bharewa, Pida, Putpura, Pathargari and upto the South limit of Sakeri.
WEST : Village Sakeri, Bhathli, Siltara, Lachanpur and upto the West limit of Bhimpuri.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town And Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site :—

1. Office of the Nagar Panchayat Pathariya, District Mungeli (C.G.)

2. Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार, छ.ग.

बलौदाबाजार, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/1278/ELU/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पलारी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत पलारी/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के कार्यालयों में दिनांक 04-07-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. पलारी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

पलारी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दतान, कोसमंदी, रसौटा, बिनौरी एवं छेरकाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छेरकाडीह, बलौदी एवं चोरहाडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चोरहाडीह, लकड़ियां, पहंदा, कुकदा एवं दतान ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम दतान एवं कोसमंदी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :—कार्यालय नगर पंचायत पलारी.

No./1278/ELU/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Palari Planning Area has been prepared under sub section (i) of Section 15 (i) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 04-07-2015 during office hour in the office of Nagar Panchayat Palari/Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenue) Balodabazar & office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar the limit of the Palari Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

NORTH : Village Datan, Kosmandi, Rasota and up to Northern limit of Chherkadih.
WEST : Village Chherkadih, Balodi and up to Western limit of Chorhadih.
SOUTH : Village Chorhadih, Lakadiya, Pahnda, Kukda and up to Southern limit of Datan.
EAST : Village Datan and up to Eastern limit of Kosmandi.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Directior, Town & Country Planning, Blodabazar C.G. or inspection site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar C.G.

Inspection Site :—Office of the Nagar Panchayat Palari.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष, बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल
जी. ई. रोड, आमापारा, पोस्ट-विवेकानंद आश्रम, रायपुर छ.ग.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्रमांक मुनिवा/रिजल्ट/2984/2015.—बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षा (बी.ओ.ई.) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु भिलाई, जिला दुर्ग में दिनांक 08 जून, 2015 से दिनांक 11 जून, 2015 तक परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

सरल क्रमांक (1)	प्रमाण पत्र क्रमांक (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	स्थान (4)
1.	324	आयुष राठौड़	बलौदाबाजार
2.	325	अभिनव सक्सेना	रायगढ़
3.	326	अभिषेक पांडे	कोरबा
4.	327	अभिषेक सिंग ठाकुर	रायगढ़
5.	328	आकांक्षा मेहरोत्रा	कोरबा
6.	329	अक्षय कुमार अराधेय	कोरबा
7.	330	आलोक चंद्र शर्मा	कोरबा
8.	331	अमित कुमार गुप्ता	कोरबा
9.	332	आनन्द कुमार गौरखेड़े	रायपुर
10.	333	अनन्त डोडमानी	राजनांदगांव
11.	334	अनिल जयप्रकाश तिवारी	रायपुर
12.	335	अनिल कुमार अहिरवार	रायपुर
13.	336	अर्निबन भट्टाचार्य	बिलासपुर
14.	337	अनिरूद्ध खरे	राजनांदगांव
15.	338	अंकित	रायगढ़
16.	339	अनुराग केशरवानी	कोरबा
17.	340	अनुराग शर्मा	अकलतरा
18.	341	आशिष बेहरा	कोरबा
19.	342	आशिष वर्मा	रायपुर
20.	343	अश्विन मेश्राम	रायपुर
21.	344	अविनाश रामचन्द्र कसार	बलौदाबाजार
22.	345	अवदेश शर्मा	रायपुर
23.	346	बालामुरलीकृष्णा पंगा	रायगढ़
24.	347	भुनेश्वर कुमार	रायपुर
25.	348	भूपेन्द्र कुमार साहू	राजनांदगांव
26.	349	बिनोद कुमार मोहंती	कोरबा
27.	350	बुरहानुद्दीन	रायगढ़
28.	351	दीपक गादरे	चांपा
29.	352	दीवाकर गंगवार	कोरबा
30.	353	दुष्यंत वर्मा	रायपुर
31.	354	गौरव गुप्ता	रायगढ़
32.	355	गौरव शंकर दीक्षित	रायगढ़
33.	356	गौरव तिवारी	रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	357	गिरीष कुमार वर्मा	रायपुर
35.	358	गोपेश्वर साहू	कोरबा
36.	359	हर्षवर्धन गुप्ता	रायगढ़
37.	360	हितेष कुमार सिन्हा	रायपुर
38.	361	इशांत हरदे	चांपा
39.	362	जगन्नाथ नायक	बलौदाबाजार
40.	363	जयंती देवांगन	कोरबा
41.	364	ज्योत्सना शर्मा	कोरबा
42.	365	के. व्ही. एस. एन. प्रसाद	कोरबा
43.	366	कल्लोल सान्याल	रायगढ़
44.	367	कमल नागपाल	रायपुर
45.	368	कन्हैयालाल सराफ	रायगढ़
46.	369	कपिल पोरवाल	भिलाई
47.	370	करूनाकरण व्ही.	तिल्दा
48.	371	कौशल किशोर	दुर्ग
49.	372	कृष्णा कुमार गुप्ता	दुर्ग
50.	373	कुणाल रंजन	कोरबा
51.	374	कुशेन्द्र कुमार	रायपुर
52.	375	लवकुमार थवाईत	रायगढ़
53.	376	लवजीत सिंग जुनेजा	अकलतरा
54.	377	मनीष ध्रुव	कोरबा
55.	378	मनीष कुमार गुप्ता	बलौदाबाजार
56.	379	अविनेश कुमार पाठक	कोरबा
57.	380	मयंक बहारे	दुर्ग
58.	381	मयंक त्रिपाठी	कोरबा
59.	382	मोहनिष कुमार साहू	रायपुर
60.	383	मोनिका महिलांग	कोरबा
61.	384	मुकेश कुमार साहू	रायगढ़
62.	385	नीरज कुमार सिंह	रायपुर
63.	386	नीरज नायक	कोरबा
64.	387	ओमप्रकाश राम	रायगढ़
65.	388	ओमप्रकाश	कोरबा
66.	389	पंकज चिंतामणी भेंडारे	अकलतरा
67.	390	पंकज कुमार सिंह	दुर्ग
68.	391	पीयुष कुमार शर्मा	रायगढ़
69.	392	प्रभाकर साहू	कोरबा
70.	393	प्रदीप कुमार राय	रायगढ़
71.	394	प्रदोष दुबे	रायगढ़
72.	395	प्रणय जायसवाल	रायपुर
73.	396	प्रणय सिंह ठाकुर	रायगढ़
74.	397	प्रतीक कुमार सिंह	रायगढ़
75.	398	प्रवीण कुमार पटेल	कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)
76.	399	प्रवीण कुमार सिन्हा	रायगढ़
77.	400	प्रियब्रता बनर्जी	रायगढ़
78.	401	प्रियेष श्रीवास्तव	कोरबा
79.	402	पुलक जायसवाल	कोरबा
80.	403	आर. नागराजा प्रसाद	चांपा
81.	404	राहुल कुमार सिंह	कोरबा
82.	405	रजत शर्मा	रायपुर
83.	406	राजेन्द्र कुमार	रायपुर
84.	407	राजेन्द्र कुमार गेडाम	रायपुर
85.	408	राजेश कुमार सिंह	रायगढ़
86.	409	राजेश कुमार यदु	चांपा
87.	410	राजेश कुशवाहा	रायगढ़
88.	411	रत्नेश कुमार वर्मा	रायपुर
89.	412	रौनक सूर्यवंशी	दुर्ग
90.	413	ऋषि कुमार अग्रवाल	कोरबा
91.	414	रूपेन्द्र कुमार सिन्हा	चांपा
92.	415	सचिन कुमार ज्योतिषी	रायगढ़
93.	416	संदीप मोईत्रा	कोरबा
94.	417	संदीप पटेल	रायगढ़
95.	418	संदेश जॉन	रायपुर
96.	419	सतीश वर्मा	रायपुर
97.	420	सौम्य रंजन परीदा	रायगढ़
98.	421	सीमा राठौर	कोरबा
99.	422	शैलेन्द्र अग्रवाल	कोरबा
100.	423	शैलेन्द्र शुक्ला	रायपुर
101.	424	शारदा दत्त सिंह	बलौदाबाजार
102.	425	शशांक गोयल	कोरबा
103.	426	शशांक लोखंडे	तिल्दा
104.	427	शशांक शेखर सराफ	कोरबा
105.	428	शशीकांत शर्मा	रायपुर
106.	429	शशीकांत शर्मा	अकलतरा
107.	430	शिलरत्न मेश्राम	तिल्दा
108.	431	शिशिर घाटगे	रायगढ़
109.	432	शिशिर नायक	बिलासपुर
110.	433	शिवशंकर राम	राजनांदगांव
111.	434	शिवनंदन	रायगढ़
112.	435	श्रेया सिंह	दुर्ग
113.	436	श्रीनिवास नायडू	कोरबा
114.	437	श्यामलाल तेमूरकर	रायपुर
115.	438	सोनी भाई पटेल	कोरबा
116.	439	सुकदेव दास	रायगढ़
117.	440	सूर्यकांत वर्मा	दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)
118.	441	सुशील कुमार शुक्ला	राजनांदगांव
119.	442	सुयष तिवारी	रायपुर
120.	443	टी. स्वरूप कुमार	दुर्ग
121.	444	तारेष सन्यतोड़े	रायपुर
122.	445	तोमेन्द्र कुमार साहू	बलौदाबाजार
123.	446	उमाकांत परोहा	रायगढ़
124.	447	विजय कुमार वर्मा	कोरबा
125.	448	विकास कुमार अग्रवाल	कोरबा
126.	449	विनय कुमार कर	कोरबा
127.	450	विशाल कुमार पाण्डे	चांपा
128.	451	विवेक भोसले	कोरबा
129.	452	विवेक देवांगन	भिलाई
130.	453	विवेक पटेल	कोरबा
131.	454	योगेश कुमार	रायगढ़
132.	455	योगेन्द्र कुमार यादव	रायगढ़
133.	456	प्रमेन्द्र सिंह छौकर	कोरबा
134.	457	पियुष कुमार गुप्ता	कोरबा

गुन्जन शुक्ला,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 14th September 2015

No. 657/Confdl./2015/II-2-1/2015.—The following members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office (s) and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ram Prasanna Sharma, District & Sessions Judge.	Janjgir-Champa	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Ganpat Rao, District & Sessions Judge.	Surajpur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge.
3.	Smt. Minakshi Gondaley, Judge, Family Court.	Dhamtari	Surajpur	Surajpur	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 14th September 2015

No. 659/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following Civil Judges Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Sukma	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Prabhakar Gwal, III Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Raipur	Sukma	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 14th September 2015

No. 661/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following Member of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Dilesh Kumar Yadav II Civil Judge Class-I.	Kawardha	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-I

बिलासपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्रमांक 7316/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्रीमती गंगा पटेल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पाली अपने घोषित कार्यस्थल पाली के अतिरिक्त कटघोरा में भी प्रत्येक माह में लगातार 02 सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 7316/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that Smt. Ganga Patel, Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Pali in Additiona to his place of sitting at Pali declared shall also sit at Katghora for 02 weeks continuously in a month.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.